

निर्देश-2/3/19 का सुनाया गया।

9.10.2019

पञ्जावली आज प्राप्ति के प्रस्ताव पत्र पर पेजी में ली गई।
प्राप्ति। अभीलाश के प्रस्ताव पत्र पेश कर निकेम किता
की अभीलाश दिनांक 2/3/19 का नोटप्रेस में खारिज कर
दी गई थी। परन्तु पीठासीन अधिकारी के सहमति के दस्तावेज
नहीं होने के कारण निर्देश नहीं हो सका। प्रकरण नोट प्रेस में
खारिज किया जावे।

प्राप्ति को बुका। पञ्जावली का अवलोकन किता। अभीलाश
की अभीलाश जलिये नोटप्रेस खारिज की जाती है। प्रकरण दफ्तरी
दफ्तर हो।

निर्देश आज दिनांक 9.10.19 का सुनाया गया।

P

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशीयल जज	नम्बर व तारीख 3 की इस हुक्म की में जारी हुक्म
14.10.2019	<p>वादी के प्रार्थना पर पठावली पेशी में ली गई। वादी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पक्षकारों के मध्य शजीनामा हो जाने के कारण वाद को आगे नहीं चलाना चाहते हैं। अतः वाद को विद्रा करने की अनुमति प्रदान की जावे।</p> <p>वादी के उक्त प्रार्थना पत्र पर वादी को वाद विद्रा करने की अनुमति प्रदान की जाती है। पठावली बाद निठिय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।</p> <p>निठिय सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">(र. केश कुमार चेल)</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी श्रीदुंगरमढ़ (बोकानर)</p>	<p>46/2016</p> <p>राजेश कुमार</p> <p>श्री केश</p> <p>र. केश</p>

